ECONSPEAK: A Journal of Advances in Management IT & Social Sciences,
Vol. 3, Issue 4, April 2013 Impact Factor 2.809 ISSN: (2231-4571)
www.skirec.org Email Id: skirec.org@gmail.com

निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार विधेयक, 2009

[1]पूनम लता मिड्ढा, अनुसंधान विद्वान, शिक्षा विभाग, बुंदेलखंड विश्विद्यालय, झाँसी (उत्तरप्रदेश)

[2]डॉ बद्री प्रशाद गुप्ता, अनुसंधान पर्यवेक्षक, वयख्याता (शिक्षाविभाग), बुंदेलखंड विश्विद्यालय, झाँसी (उत्तरप्रदेश)

शिक्षा प्रकाश का वह स्त्रोत है, जो जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में हमारा पथ प्रदर्शन करती है। इससे बुद्धि विवेक, तथा निपुणता में वृद्धि होती है। शिक्षा मनुष्य का तीसरा नेत्र है जो तत्वों के मूल भाव को समझने की क्षमता प्रदान करती है। इससे व्यक्ति का सर्वांगीण विकास होता है। जैसे – शारीरिक,धार्मिक, सांस्कृतिक, राजनैतिक विकास आदि। मानव इतिहास के आदिकाल से शिक्षा का विभिन्न प्रकार से प्रसार होता रहा है। प्रत्येक देश अपनी सामाजिक व सांस्कृतिक अस्मिता को अभिव्यक्त करने एवं उसे पूर्ण करने के लिए अपनी विशिष्ट शिक्षा प्रणाली विकसित करते है।

1. प्रस्तावना

बच्चे किसी भी राष्ट्र की अमूल्य सम्पति माने जाते हैं। उनका पालन–पोषण और उनकी देखभाल हमारा उत्तरदायित्व है। मानव सम्पदा के विकास की हमारी योजनाओं में बच्चों के कार्यक्रमों का प्रमुख स्थान होना चाहिए ताकि हमारे बच्चे बड़े होकर ह्रष्ट–पुष्ट नागरिक बन सकें। वे शारीरिक रूप से स्वस्थ, मेधावी और सद्चरित्र वाले हों और उनमें ऐसी प्रवृतियाँ एवं कौशल विकसित हों जिनकी समाज को आवश्यकताहै। हमारा लक्ष्य यह होना चाहिए कि विकास की अवधि में सभी बालकों को विकास के समान अवसर प्रदान किये जाएँ, क्योंकि इससे बालकों के लिए असमानता कम करने और सामाजिक न्याय स्थापित करने के हमारे बड़े उद्देश्य की पूर्ति होगी। जिस प्रकार बालकों का पालण–पोषण या देखभाल की जायेगी, उसी के अनुरूप उनका विकास सम्भव है। यदि बालक को उचित वातावरण एवं समुचित जीवनोपयोगी सुविधाएँ प्रदान की जाए तो बालक का सर्वांगीण विकास होगा तथा मानव जाति के कल्याण का मार्ग प्रशस्त होगा। बालकों का विकास न केवल एक राष्ट्र बल्कि सम्पूर्ण विश्व के लिए हितकर सि(होता है, क्योंकि आज का बालक भविष्य का एक जिम्मेदार नागरिक होता है। इन मूलभूत आवश्यकताओं के अतिरिक्त विकासोन्मुखी साधन मानव जीवन को सुगम व सुखप्रद बनाने के लिए जरूरी है। उचित वातावरण, नजरिए, बदलते जीवन मूल्यों का प्रभाव शिक्षा जगत पर भी पड़ा है। आज शिक्षा जगत एक व्यावसायिक तन्त्र का

रूप लेता जा रहा है, साथ ही शिक्षा के बाजारीकरण ने शिक्षक को एक व्यावसायिक तथा बिकाऊ वस्तु बना दिया है, जिसके चलते विद्यालयों की स्थापना, विश्वविद्यालयों की स्थापना, गुरू–शिष्यों के सम्बन्धों में भी अर्थ, धन ने अपनी अलख जगा दी तथा अनेक प्रकार के अन्य प्रभाव यथा आधुनिकीकरण, पाश्चात्यीकरण, वैश्वीकरण, निजीकरण एवं उदारीकरण आदि का भी शैक्षिक जगत एवं शिक्षक के स्वरूप तथा भूमिका पर व्यापक प्रभाव पड़ा है। इस निमित्त आधुनिक अध्यापकों के स्वास्थ्य तथा सामाजिक अन्तर्निभरता मानव जीवन के लिए एक महत्त्वपूर्ण तथ्य है। यदि हम बालकों के सन्दर्भ में बात करें तो न केवल उचित भोजन, पोषण तथा वातावरण बल्कि समुचित शिक्षा, प्रेम एवं सहानुभूति तथा सुरक्षा उनकी ऐसी जरूरतें हैं जिनके अभाव में बालकों का विकास होना तो दूर की बात उनके अस्तित्त्व पर भी प्रश्नचिन्ह लग सकता है।

2. निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा

संविधान के छियासीवें संशोधन से अनुच्छेद 21 ए के द्वारा शिक्षा को मौलिक अधिकार का दर्जा दिया गया है। उस संशोधन के क्रियान्वयन के लिए शिक्षा का अधिकार विधेयक, 2009 में पास हुआ, राष्ट्रपतिजी द्वारा इसे अगस्त में स्वीकार किया गया। 1 अप्रैल, 2010 से इस कानून को देश में लागू किया गया।

1. निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा बिल 2008 के तहत 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को औपचारिक विद्यालय में पूर्ण शिक्षा दी जायेगी।
2. अनिवार्य शिक्षा :– अनिवार्य शिक्षा का अर्थ सरकार यह समूचित व्यवस्था करेगी जिसमे बच्चो का प्रवेश हो, उनकी उपस्थिति बनी रहे एवं प्राथमिक शिक्षा दी जायेगी।
3. निःशुल्क शिक्षा :– निःशुल्क शिक्षा का अर्थ जिस बच्चे ने विद्यालय में प्रवेश लिया था जिसमें माता पिता में प्रवेश दिलवाया है। उनमें राजकीय विद्यालयों में खर्च के रूप में शुल्क नही लिया जायेगा एवं प्राथमिक शिक्षा से वंचित नही किया जायेगा।
4. निःशुल्क प्राथमिक शिक्षा की जिम्मेदारी सरकार स्थानीय अधिकारियों, माता–पिता, विद्यालयों, अध्यापको का होगा।
5. निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा के अधिनियम के तहत शिक्षक–शिक्षिकाएं अब न तो ट्यूशन करा सकेगें और नहीं निजी शिक्षण संस्थाओं में अध्यापन करा सकेगें। इसके अलावा किसी

भी बालक को न तो किसी कक्षा में रोका जायेगा और न ही प्राथमिक शिक्षा पूर्ण करने तक विद्यालय से निष्काषित किया जायेगा ऐसा करने पर कार्यवही होगी।

6. 'सरकार की जिम्मेदारी' बिल के प्रावधानो का पालन करके सरकार स्थानीय अधिकारी प्रति एककिलोमीटर में एक विद्यालय की स्थापना करे। एवं विद्यालयों का वर्गीकरण जैसे– नवोदय विद्यालय केन्द्रीय विद्यालय, सैनिक कल्याण विद्यालय आदि का संचालन भारत सरकार करेगी। एवं संद्य शासित प्रदेशो में सक्षम संद्य शासित प्रदेश का प्रशासक संचालित करेगी।
7. बच्चों को बिना किसी भेदभाव के विद्यालयों में प्रवेश दिया जायेगा, विकलांग बच्चो के साथ भेदभाव न करके सामान्य बच्चो की तरह शिक्षा प्रदान की जायेगी ˇज्एए ˇब्एए व्ठब्‌ के बालक–बालिकाओ के प्रवेश के लिए सम्मुन्त प्रावधान किये जायेगे प्रवेश के बाद बच्चो की आयु, उपस्थित व प्रगति का रिकोंर्ड रखा जायेगा।
8. बच्चों की शिक्षा अवधि के दौरान माता–पिता आजीविका के लिए अन्य स्थान पर प्रस्थान कर जाते है, तो बच्चों के स्थानान्तरण पत्र अवश्य प्रदान किया जायेगा। यदि प्राथमिक शिक्षा के बाद उच्च प्राथमिक शिक्षा की विद्यालय में व्यवस्था नही है, तो बालक अन्यत्र अध्ययन के लिए स्थानान्तरण पत्र ले सकेगा। बिना स्थानान्तरण पत्र के बालको की अन्य विद्यालय में प्रवेश नही दिया जायेगा। स्थनान्तरण पत्र प्रधानाध्यापक या ईचार्ज अध्यापक जारी कर सकेगा, एवं टी.सी.प्रदान नहीं करने पर सम्बंधित प्रधानाध्यापक के विरूद अनुशासनात्मक कार्यवाही की जायेगी।
9. केन्द्रीय सरकार एवं राज्य सरकारे मिलकर निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था के लिए वितीय कोष का गठन करेगी। एवं केन्द्र सरकार अनुदान प्रदान करने की व्यवस्था प्रदान करेगी। जिसमें विद्यालय भवन का निर्माण, शिक्षण सामग्री, पाठ्य–पुस्तको की व्यवस्था, अध्यापको की व्यवस्था हो सकेगी।
10. प्राथमिक शिक्षा के लिए छात्र केन्द्रित पाठ्यक्रम निर्धारित होगा। प्रत्येक अध्यापक को शिक्षण प्रशिक्षण दिया जायेगा। कुल प्रवेश छात्रो में से 25ः बच्चे कमजोर वर्गो के हो सकेगे। बच्चो की आयु, प्रवेश, दिनांक, उपस्थित का कानुनी रूप से प्रमाण पत्र रखना अनिवार्य होगा। एवं शिक्षा पंचाग तैयार किया जायेगा जिसमें शिक्षा दिवस निर्धारित रहेगे।
11. प्रवेश प्रक्रिया शुल्क मुक्त होगी। जन्म दिनांक को प्रवेश के समय लिखित किया जायेगा। प्रवेश निषेध नही होगा अर्थात प्रवेश के इच्छुक बच्चो को प्रवेश दिया जायेगा एवं उसे

प्राथमिक शिक्षा पूर्ण करने का अधिकार है। शिक्षा के अधिकार कानून की धारा 13 में बताया गया है कि कोई भी स्कूल या व्यक्ति बालक को प्रवेश देते समय किसी प्रकार की फिस या पैसा नहीं लेगा और बच्चों को प्रवेश देने के लिए कोई प्रवेश परीक्षा नहीं ली जाएगी। यदि कोई प्रवेश परीक्षा लेता है तो उसके लिए दण्ड का प्रावधान हैं।

12. बच्चों को शारीरिक मानसिक दण्ड नही दिया जायेगा। निजी विद्यालयों पर भी दण्ड निषेद प्रावधान लागु होगा। निजी विद्यालयों में शुल्क निर्धारण समिति बनाई जायेगी जिसमें स्थानीय शिक्षा अधिकार भी शामिल हो, जो शुल्क निर्धारण को अनुमोदित करेगा। केवल मान्यता प्राप्त विद्यालयो में प्रवेश होगा। मान्यता वापस लेने की तिथि के बाद वह विद्यालय संचालित नही रहेगा। यदि वह संचालित रहता है तो उस पर एक लाख रूपये का आर्थिक जुर्माना या 10 हजार रूपये प्रतिदिन का दण्ड लगेगा। निजी विद्यालयों की कार्य समिति में तीन चार अभिभावको को शामिल किया जायेगा। प्राथमिक शिक्षा सार्वजनिकरूप से उदेश्यपूर्ण हो। जो बच्चे कमजोर वर्ग के ह जो शिक्षा को बीच में ही छोड़ देते है। उनका विद्यालयों में ठहराव को अपनाया जाना चाहिऐभारत के संविधान में 6 से 14 वर्ष के बच्चो को शिक्षा प्राप्ति का मूल अधिकार दिया गया है। उस उदेश्य की पूर्ति की जायेगी। निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा बिल 2008–09 का उदेश्य प्रत्येक बच्चें को एक औपचारिक विद्यालय में संतोषपूर्ण शिक्षा दी जानी चाहिऐ अनिवार्य शिक्षा का उदेश्य यह है कि सरकार द्वारा प्रत्येक बालक–बालिका के प्रवेश एवं उपस्थिति को पूर्णतया सुनिश्चित किया जाना चाहिए। निःशुल्क शिक्षा का मतलब विद्यालय में माता–पिता द्वारा बच्चे के प्रवेश पर किसी प्रकार का शुल्क नही लिया जायेगा। तत्कालीन सरकार, स्थानिय अधिकारी, माता–पिता विद्यालय एवं अध्यापको का यह कर्तव्य एवं उतरदायित्व है कि वे बच्चो की निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था करे। बालक–बालिका, निर्धन, अमीर,अपंग सभी को बिना किसी भेदभाव के प्रवेश दिया जायेगा। सरकार का उतरदायित्व है कि वह हर एक किलोमीटर के क्षेत्र में एक प्राथमिक विद्यालय की व्यवस्था करे बच्चे के प्रवेश उपस्थित आयु अध्ययन अवधि का विद्यालय में रिकार्ड रखा जायेगा।

विद्यालय में बच्चो का ठहराव बने इसके लिए उचित प्रावधान किये जाने है। जैसे शारीरिक दण्ड नही दिया जायेगा। प्राथमिक विद्यालय में जिसमें 60 बच्चों का प्रवेश हो उसमें दो अध्यापकों की व्यवस्था होनी चाहिए। 100 बच्चों के प्रवेश पर पाँच अध्यापको की व्यवस्था होनी चाहिऐ। 150

बच्चों के प्रवेश पर एक प्रधानाध्यापक की नियुक्ति होनी चाहिऐ। 200 बच्चों से ऊपर प्रवेश होने पर 40 बच्चो पर एक अध्यापक का अनुपात होना चाहिऐ। उच्च प्राथमिक विद्यालय में प्रत्येक कक्षा के लिए एक एक अध्यापक की व्यवस्था होनी चाहिऐ 35 बच्चों पर एक अध्यापक का अनुपात रखा जायेगा। 100 बच्चो की संख्या पर एक पूर्णकालीन प्रधानाध्यापक की व्यवस्था की जायेगी छठवी, सातवी, आठवी, कक्षा में कलाशिक्षा, कार्यानुभव व स्वास्थ्य शिक्षा के लिए अंश कालीन अध्यापक की व्यवस्था की जायेगी । विद्यालयों में प्रत्येक मौसम के अनुकूल भवन होगा। प्रत्येक के लिए अलग अलग कक्षा कक्ष की व्यवस्था की जायेगी। पीने के पानी की समुचित व्यवस्था की जायेगी। विद्यालय में बालक बालिकाओ के लिए अलग अलग शौचालयों की व्यवस्था की जायेगी । मध्यान पोषाहार पकाने के लिए एक रसोई कक्ष की व्यवस्था की जाए। बच्चों के खेलने के लिए मैदान होना चाहिए।

प्राथमिक विद्यालय के दो सौ कार्य दिवस होने चाहिए। एक वर्ष में आठ सौ शैक्षिक घंटे होने चाहिए। उच्च प्राथमिक विद्यालय में दो सो बीस कार्य दिवस होने चाहिए और एक हजार शैक्षिणिक घंटे होने चाहिए। विद्यालय में पुस्तकालय की व्यवस्था होनी चाहिए जिसमें शिक्षा से संबन्धित विभिन्न पुस्तकें होनी चाहिए। एंव ंविभिन्न पत्र–पत्रिकाएँ होनी चाहिए।

निजी विद्यालयों में पच्चीस फीसदी बच्चों को निःशुल्क पढ़ाने की बाध्यता माध्यमिक व उच्च माध्यमिक विद्यालयों की कक्षा एक से आठ तक में लागू होगी। इसके लिए राज्य सरकार ने अधिसूचना जारी की है। साथ ही यह भी स्पष्ट किया है कि किन बच्चों को निःशुल्क प्रवेश मिल सकता है। निजी स्कूलों को इन बच्चों का शुल्क राज्य सरकार से मिलेगा। स्कूल शिक्षा विभाग के प्रमुख शासन सचिव अशोक सम्पतराम ने प्रारम्भिक शिक्षा आयुक्त को भेजे आदेश में स्पष्ट किया है कि गैर सरकारी प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालयों में दुर्बल वर्ग तथा असुविधाग्रस्त समूह के विद्यार्थियों को प्रवेश दिया जाएगा। जिन निजी विद्यालयों में पूर्व प्राथमिक कक्षाएं संचालित हो रही है उनमें भी पच्चीस फीसदी बच्चों को निःशुल्क पढ़ाना होगा।

शिक्षा का अधिकार कानून लागू होने की वजह से प्रवेश के स्कूलों में कक्षा एक से 8 तक के सभी विद्यार्थियों को क्रमोन्नत करते हुए अगली कक्षा में प्रवेश दिया जायेगा। किसी भी विद्यार्थी फेल नहीं जायेगा।

कक्षा 1 से 8 तक संचालित होने वाले विद्यालयों को अब मान्यता लेना जरूरी होगा। देश में 1 अप्रेल 2010 से लागू शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत संस्था प्रधानों प्रधानों को मान्यता के मानदण्ड पूरे करने होंगे। कानून लागू होने के तीन वर्ष की अवधि में सभी पूराने और नए स्कूलों को अधिनियम की धारा 18 और 19 के तहत मान्यता लेनी होगी। बिना मान्यता चलाने पर दण्ड का प्रावधान भी होगा। गौरतलब है कि अब तक कक्षा 5 तक के स्कूलों को मान्यता चलाने पर दण्ड का प्रावधान भी होगा।

3. अधिनियम में विद्यालयों के लिए दायित्वः

- सरकारी विद्यालय 8वीं तक निःशुल्क शिक्षा प्रदान करेंगे।
- निजी विद्यालय व विशेष श्रेणी विद्यालयों को आर्थिक रूप से निर्बल वर्गों के बच्चों के लिए पहली कक्षा में 25 प्रतिशत स्थान आरक्षित करना होगा।
- कोई भी विद्यालय न तो कोई अनिवार्य दान/चंदा ले सकेगा और न ही अभिभावक/बच्चे के चयन के लिए कोई प्रणाली अपना सकेगा।
- अधिकृत प्राधिकार से मान्यता का प्रमाण पत्र हासिल किए बिना कोई भी विद्यालय खोला नहीं जा सकेगा।

4. शिक्षा अधिकार अधिनियम में अभिभावकों के दायित्व

प्रत्येक माता–पिता या अभिभावक, संरक्षक का यह कर्तव्य होगा कि वह आस–पास के विद्यालय में अपने 6 से 14 वर्ष तक के अपने बच्चों या प्रतिपाल्य का प्रारम्भिक शिक्षा के लिए प्रवेश दिलायेगा।

5. शिक्षा अधिकार अधिनियम में प्रधानाध्यापकों व अध्यापकों के दायित्व

- सरकारी विद्यालय में प्रवेष लेने वाले सभी बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध करायेंगे।
- प्राथमिक शिक्षा पूरी होने तक किसी भी विद्यार्थी को किसी भी कक्षा में रोकना अथवा स्कूल से निकाला जाना प्रतिबन्धित है।
- बिना मान्यता स्कूल चलाने वाले व्यक्ति/संस्था पर एक लाख रूपये तक का जुर्माना।

- सरकार द्वारा निर्धारित किए गये छात्र–शिक्षक अनुपात का पालन करना प्रत्येक प्रधानाध्यापक के लिए आवश्यक है।
- निजी विद्यालय में कक्षा एक के लिए निर्धारित विद्यार्थियों की संख्या का न्यूनतम 25 प्रतिशत सीट पड़ोस के अलाभित एवं पिछड़े समूह के बालकों हेतु आरक्षित रहेगा और इन्हें प्रारम्भिक शिक्षा पूरी होने तक निःषुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध करायेंगे। कोई विद्यालय या व्यक्ति किसी बालक को प्रवेश देते समय प्रति व्यक्ति फीस नहीं लेगा और न हीं बालक या उसके माता–पिता या अभिभावक से कोई परीक्षा या साक्षात्कार लेगा।
- किसी बच्चे को शारीरिक या मानसिक दण्ड नहीं दिया जायेगा।
- चुनाव, जनगणना तथा आपदा प्रबन्धन के अलावा विद्यालयी शिक्षकों को अन्य कार्यों में इस्तेमाल पर रोक।
- अध्यापकों को विद्यालय में नियमित रूप से आना व 75 प्रतिशत उपस्थिति पूर्ण करना।

6. निष्कर्ष

वर्तमान समय में न केवल भारत बल्कि सम्पूर्ण विश्व में बालकों से जुड़ी विभिन्न समस्याएँ हमारे समक्ष विद्यमान है। शिक्षा ही एक ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा बच्चों के अधिकारों के प्रति शिक्षकों एवं अभिभावकों को अवगत करवाकर उन्हें इसके प्रति जागरुक बनाया जा सकता है। शिक्षा का अधिकार अधिनियम–2009 के ना होगा, तभी पूरी व्यवस्था का हम सुचारू रूप से अध्ययन कर सकते हैं तथा प्रारम्भिक स्थितियों से लेकर वर्तमान स्थितियों तक की अच्छाईयाँ व कमियों को समझ सकते हैं। यही कारण है कि वर्तमान शोधकार्य के अन्तर्गत शिक्षा का अधिकार अधिनियम–2009 बनने की पूर्व की स्थितियों एवं बाद की स्थितियों के संरचनात्मक रूप से अध्ययन को शोध के उद्देश्यों में शामिल किया गया है।

संदर्भ–

- अस्थाना विपिन , श्रीवास्तव विजया, अस्थाना निधि ''शैक्षिक अनुसंधान एव सांख्यिकी''अग्रवाल पब्लिकेशन संस्करण 2011 पृष्ठ सं. 718–19
- कुमार ;2002द्ध आकॉक्षा स्तर, तथा सृजनात्मकता की आवश्यकता का अध्ययन पी. एच.डी. शिक्षाशास्त्र, आगरा विश्वविद्यालय आगरा।

- कौल लोकेश ;2009द्ध ''शैक्षिक अनुसंधान की कार्यप्रणाली'' पृष्ठ सं. 232, 444
- डॉ. मंगल एस. के. ;2007द्ध ''शिक्षण एवं अधिगम का मनोविज्ञान'' टंडन पब्लिकेशन पृष्ठ सं. 145
- डॉ. सिंह रामपाल , डॉ. शर्मा ओ. पी. ''शैक्षिक अनुसंधान एवं सांख्यिकी ''अग्रवाल पब्लिकेशन संस्करण 2012 पृष्ठ सं. 118, 265
- रूहेला, प्रो. सत्यपाल ;2008द्ध "विकासोन्मुख भारतीय समाज में शिक्षक और शिक्षा", अग्रवाल पब्लिकेशन्स, आगरा पृ. 345
- भारतीय शिक्षा शोध पत्रिका ;जनवरी–जून 2009द्ध अ(वार्षिक शिक्षा शोध पत्रिका, चीफ एडीटर, भारतीय शिक्षा शोध पत्रिका, सरस्वती कुंज, निराला नगर, लखनऊ, पृष्ठ संख्या–39, 40, 96, 111